

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:—श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—60/2022 (2022/220) वादपत्र

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता रामलाल ढोली निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/1. मूलचन्द पिता रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रोशनलाल पिता रामलाल खटीक निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अम्बु पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जमू पत्नि बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जमनादेवी पत्नि सूरजमल खटीक निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवीलाल पिता बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शंकर पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहन पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद मन्सुरी—
2. जाकिर हुसैन रंगरेज —

अधिवक्ता वादी

अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 23.01.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 16.05.2023 के द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के वैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की शामिली खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 29 रकबा 0.01 है0 गै.मु.आचा, आराजी संख्या 30 रकबा 1.07 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.08 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का एवं उसकी माता फोट हो जाने से उनका संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा तथा इसी प्रकार आसुणा में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 की शामिली खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 54 रकबा 2.05 है0, आराजी संख्या 56 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 57 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 58 रकबा 0.61 है0 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 3.88 है0 भूमि में वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का व उसकी माता फोट होने से 2/15—2/15 यानि संयुक्त रूप से 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/10 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड



(Handwritten signature)

बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 22.08.2023 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है एवं प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद वादी द्वारा भूमि विक्रय करने से क्रेता खातेदार को पक्षकार संयोजित किया जाकर उसका हिस्से का अलग विभाजन किये जाने में उभयपक्ष अधिवक्ता सहमत हैं। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 214 में प्रस्तावित आराजी संख्या 30/1 रकबा 0.71 है० भूमि मूलचन्द पिता रतनलाल रेगर सा. मोखुन्दा खातेदार, प्रस्तावित आराजी संख्या 30/2 रकबा 0.36 है० रोशनलाल पिता रामा 1/2 सन्तोकी पत्नि रामा हिस्सा 1/2 खटीक सा. खाखरमाला एवं आराजी संख्या 29 रकबा 0.01 है० गै.मु. आवा शामलाती बदस्तुर, तथा खाता संख्या 288 में प्रस्तावित आराजी संख्या 57 रकबा 0.61 है० आराजी संख्या 54/2 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.65 है० भूमि मूलचन्द पिता रतनलाल रेगर सा. मोखुन्दा एवं आराजी संख्या 56 रकबा 0.61 है०, आराजी संख्या 54/1 रकबा 0.42 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.03 है० भूमि रोशनलाल पिता रामा 1/2 सन्तोकी पत्नि रामा 1/2 खटीक सा. खाखरमाला खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 58 रकबा 0.61 है०, आराजी संख्या 54/3 रकबा 0.04 है० कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.65 है० भूमि जमनादेवी पत्नि सुरजमल खटीक सा. खाखरमाला, एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 54/4 रकबा 1.55 है० भूमि अम्बु पिता प्रताप 1/4 जमु पत्नि बेणा 1/8 देबीलाल पिता बेणा 1/8, शंकर पिता प्रताप 1/4, सोहन पिता प्रताप 1/4 बलाई सा. देह खातेदार रहन बीआरजीबी शाखा मोखुन्दा देवीलाल के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपस्थित अधिकारी)
सहायक कलक्टर (उपस्थित अधिकारी)
रायपुर (मैलवाडा) वाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी:-श्री सुबोध सिंह चारण, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-60/2022 (2022/220) वादपत्र

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता रामलाल ढोली निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
- 1/1. मूलचन्द पिता रतनलाल रेगर निवासी मोखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. रोशनलाल पिता रामलाल खटीक निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. अम्बु पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. जमू पत्नि बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. जमनादेवी पत्नि सूरजमल खटीक निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. देवीलाल पिता बेणा बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. शंकर पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सोहन पिता प्रताप बलाई निवासी आसुणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रुबरु हमारे बहाजरी वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम आसुणा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरुन हल्का आवादी मे खाता संख्या 214 में प्रस्तावित आराजी संख्या 30/1 रकबा 0.71 है0 भूमि मूलचन्द पिता रतनलाल रेगर सा. मोखुन्दा खातेदार, प्रस्तावित आराजी संख्या 30/2 रकबा 0.36 है0 रोशनलाल पिता रामा 1/2 सन्तोकी पत्नि रामा हिरसा 1/2 खटीक सा. खाखरमाला एवं आराजी संख्या 29 रकबा 0.01 है0 गै.मु. आचा शामलाती बदस्तुर, तथा खाता संख्या 288 में प्रस्तावित आराजी संख्या 57 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 54/2 रकबा 0.04 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि मूलचन्द पिता रतनलाल रेगर सा. मोखुन्दा एवं आराजी संख्या 56 रकबा 0.61 है0, आराजी संख्या 54/1 रकबा 0.42 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.03 है0 भूमि रोशनलाल पिता रामा 1/2 सन्तोकी पत्नि रामा 1/2 खटीक सा. खाखरमाला खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 58 रकबा 0.61 है0 आराजी संख्या 54/3 रकबा 0.04 है0 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.65 है0 भूमि जमनादेवी पत्नि सुरजमल खटीक सा. खाखरमाला, एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 54/4 रकबा 1.55 है0 भूमि अम्बु पिता प्रताप 1/4 जमु पत्नि बेणा 1/8 देवीलाल पिता बेणा 1/8, शंकर पिता प्रताप 1/4, सोहन पिता प्रताप 1/4 बलाई सा. देह खातेदार रहन बीआरजीवी शाखा मोखुन्दा देवीलाल के नाम रखते हुए राजस्व रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 23.01.2024 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।



(सुबोध सिंह चारण)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, भीलवाड़ा